Indian Council of World Affairs
Sapru House, Barakhamba Road
New Delhi

फाइल सं.: आईसीडब्ल्यूए\एडीएम\103\2009\2022 **दिनांकः 16-11-2022**

बेकार/ अनुपयोगी कंप्यूटरो और कंप्यूटर से जुड़ी वस्तुओं, यूपीएस, प्रिंटर आदि के निपटान हेतु सीलबंद कोटेशन

सूचना

बेकार/ अनुपयोगी कंप्यूटर, प्रिंटर [लेज़र और इंकजेट], यूपीएस और कंप्यूटर से जुड़ी अन्य वस्तुओं आदि के निपटान हेतु सीलबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। निपटान की जाने वाली वस्तुओं की एक संभावित सूची यहां संलग्न है। निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर वस्तुओं का निपटान किया जाएगा:-

1. कंपनी के प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे **24 नवंबर, 2022 को 1400 बजे से 1600 बजे** तक बेकार/अनुपयोगी कंप्यूटरों और कंप्यूटर से जुड़ी वस्तुओं, यूपीएस, प्रिंटर आदि के निरीक्षण हेतु सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली आएं (संपर्क व्यक्ति: रजनीश राय- 23325413/9899189193)।

2. सीलबंद कोटेशन 07 दिसंबर 2022 को अपराह्न 03:00 बजे या उससे पहले इस पते पर पहुंच जाना चाहिए:

   श्री श्री सौमेन बागची
   उपमहानिदेशक
   भारतीय वैश्विक परिषद
   सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड
   नई दिल्ली-110001

   कोटेशन वाले सीलबंद लिफाफे पर मोटे अक्षरों में "**बेकार/ अनुपयोगी कंप्यूटरों और कंप्यूटर से जुड़ी वस्तुओं, यूपीएस, प्रिंटरों आदि के निपटान हेतु कोटेशन**" लिखा होना चाहिए।

3. सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बोली लगाने वाले के चयन की सूचना के 5 दिनों के भीतर निपटाए जाने वाली वस्तुओं का भुगतान करना होगा और भुगतान करने के बाद बोली लगाने वाले को अपने खर्च पर 5 (पांच) कार्य दिवसों के भीतर वस्तुओं को हटाना होगा, अन्यथा 500/- रुपये प्रति दिन की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।

4. कोटेशन खोलने और उसका मूल्यांकन करने वाली समिति के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी कोटेशन/ कोटेशंस को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

5. वस्तुओं का निपटान "जैसा है जहां है" के आधार पर किया जाएगा।

6. कंपनियों को कोटेशन के साथ एक वचनपत्र (*अनुलग्नक-II में संलग्न नमूना*) भी देना आवश्यक है जिसमें यह कहा गया हो कि आप ई– कचरों का निपटान ई– अपशिष्ट (प्रबंधन और रखरखाव) नियम 2010 के नियमों के सख्त अनुपालन में करेंगें और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार ई–कचरे का पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे।

7. कंपनियों को अनुलग्नक-I के अनुसार वित्तीय बोली लगाने का सख्त निर्देश दिया जाता है।

निपटाए जाने वाले कंप्यूटरों और संबंधित परिधीय उपकरणों की संभावित सूची

सीपीयू : 06
प्रिंटर : 09
यूपीएस : 07
लैपटॉप : 09
विविध : 30 (कीबोर्ड और माउस समेत)

****

अनुलग्नक-I

वित्तीय बोली

क्र. सं.	निपटाए जाने वाली वस्तुएं	मात्रा	इकाई मूल्य	कुल मूल्य
1	सीपीयू	06		
2	प्रिंटर	09		
3	यूपीएस	07		
4	लैपटॉप	09		
5	विविध	30		
			कुल मूल्य (रु.)	

(कंपनी की मुहर के साथ हस्ताक्षर)

मालिक का नाम:

दिनांक:

अनुलग्नक -II

सेवा में, **दिनांकः**

श्री श्री सौमेन बागची
उपमहानिदेशक
भारतीय वैश्विक परिषद
सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड
नई दिल्ली-110001

विषय: ई– कचरा नियम के अनुसार वस्तुओं के निपटान का वचन

श्रीमान,

हम,………… …… ………… ……… ……… ……… …… ……………, एतद् द्वारा घोषित करते हैं कि, भारतीय वैश्विक परिषद से प्राप्त होने वाले आईटी उपकरण को ई–कचरे के निपटान हेतु बनाए गए नियम: "ई– कचरा (प्रबंधन और रखरखाव) नियम 2010" के नियमों का सख्ती से पालन करेंगें और हम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशानुसार ई–कचरे का पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे।

सादर,

(मालिक की मुहर और हस्ताक्षर)

(मालिक का नाम)